ग्रामीण सामाजिक संरचना में अनुसूचित जातियों की सामाजिक प्रस्थिति एवं उत्तरदायित्व

–डॉ. योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एवं मीना कुमारी*
ऐसो.प्रो. एवं अध्यक्ष–समाजशास्त्र विभाग
का.सु. साकेत पी.जी. कालेज, अयोध्या
*शोध छात्रा–समाजशास्त्र
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

शोध सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जहाँ चारों वर्णों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, किन्तु सबसे निम्न वर्ण अपनी सामाजिक भूमिका के निवर्हन के कारण ही समाज में अछूत समझा जाता था। शिक्षा से वंचित होकर वह स्वयं ही पशुवत जीवन निवर्हन करता रहा, संविधान निर्माताओं द्वारा उनकी पीड़ा उन पर सामाजिक धार्मिक अत्याचार का संज्ञान लेते हुए ही उन्हें समाज में समानता, एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जिससे आगे आने वाली उनकी पीढ़ी समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त कर सकें। संविधान द्वारा तो समाज के निम्न, कमजोर वर्ग हेतु अनेकानेक प्रावधान किये है, किन्तु इन प्रावधानों के बावजूद सख्त कानून यथा–अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 को लागू करना पड़ा। क्योकि संविधान ने तो सारे अधिकार प्रदान कर दिये, लेकिन समाज उन्हें अभी वह अधिकार नहीं प्रदान करना चाहता है। इसीलिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार की धटनाऐं निरन्तर सुनाई पड़ती है।

शब्द संकेत– प्रतिमान, स्तम्भ, असमानता, समतामूलक, दृढ संकल्प, निर्योग्यताऐं, कुरीतियाँ, सामाजिक न्याय, विषमताऐं, वैश्विक गुरू, शिक्षा का अधिकार

शोध–पत्र

भारतीय सामाजिक संरचना का बोध सामाजिक ढाँचे द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार किया जा सकता है। समाज की विभिन्न इकाईयों यथा–परिवार, संस्था, मूल्य एवं प्रतिमानों के साथ वर्ण व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वर्ण व्यवस्था के चौथे स्तम्भ के रूप में शूद्रो की स्थिति हमेशा से दयनीय रही है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है।[1] वैदिक काल से चली आ रही परम्परा जिसमें ब्राह्मण सर्वोत्म स्थान पर और शूद्र निम्न स्थान प्राप्त करता है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था मे छुआछूत को समाज द्वारा कठोरता के साथ लागू करता है। प्राचीनकाल की छुआछूत तथा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था इसे असमानता के रूप में स्वीकार करता रहा है, चूंकि धर्म सामाजिक नियन्त्रण का साधन रहा है। इसलिए पवित्रता और अपवित्रता की भावना भी समाज में मजबूती के साथ लागू रही।[2] सामाजिक असमानता समाज के विकास में अवरोध का कारक है, इसी असमानता को दूर कर समता मूलक समाज की स्थापना हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा समाज के सबसे कमजोर वर्ग अर्थात शूद्र को समाज में बराबरी का

स्थान दिलाने हेतु भारत के संविधान की उदेद्शिका में सामाजिक न्याय, अवसर की समता प्राप्त कराने हेतु दृढ़संकल्पित होकर संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया।[3]

यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्राचीन काल से लेकर स्वंतत्रता पूर्व तक भारतीय समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाली जाति/वर्ण अछूत, अस्पृश्य, शूद्र हरिजन और अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। प्राचीनकाल से ही सामाजिक निर्योग्यताओं, प्रतिबन्धों का सामना करते हुए समाज में मात्र सेवक का ही पद प्राप्त कर सका था।[4] स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु समाज के सभी वर्गों ने बढ़चढ़ कर प्रतिभाग किया था। देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों से अभी स्वतंत्रता मिलनीं बाकी थीं। इस कमी को भारतीय संविधान द्वारा दूर करने का अथक प्रयास किया गया।

संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त बुराइयों सामाजिक दूरी के कारणों और अलगाववाद को बड़े ही नजदीक से देखा था। इसीलिए संविधान में समाज के कमजोर वर्ग हेतु विशेष प्रावधान किये गये थे। शिक्षा, समानता, न्याय आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जो समाज के सबसे निम्न वर्ग को प्राप्त नहीं था, अछूता था, सांविधानिक प्रयास के माध्यम से समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया था, इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहब आज भी पूजनीय हैं।[5]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़ी जातियों के विशेष हित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में कई धाराओं का समावेश किया गया था। साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा–340 का समावेश कर सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्थान हेतु अपनी समर्पित भावना को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया था। वर्तमान भारतीय समाज गतिशीलता के साथ विकासशील होते हुए विकसित देश बनने हेतु प्रयासरत है। वैश्विक गुरू बनने की भी हमारी चाहत है किन्तु इन चाहतों को पूरा करने से पहले स्वयं के समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। सांविधानिक प्रयास की सफलता तो समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, किन्तु सामाजिक रूप से अभी भी अनुसूचित जातियों के प्रति आम जनमानस में बराबरी का वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका है जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। महात्मा गाँधी ने की थी, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज आदि द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना तो कर दी थी, किन्तु समाज कहीं न कहीं आज भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भारत को विश्वगुरू बनने हेतु बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक यथा –

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखः या भवेत्।।

अर्थात् सुखी हो, सभी रोगमुक्त हों, सभी मंगल मय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को दुख और कष्ट का भागीदार न होना पड़े, तभी हम विश्वगुरू बनने की सोंच भी सकते हैं।

यतीन्द्र सिंह, सिसोदिया (2000) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले सामाजिक–आर्थिक संरचना का दबाव इतना प्रभावशाली रहा कि, समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वयं की निम्न प्रस्थिति को स्वीकार करने हेतु विवश होना पड़ा।[7]

राम पियारे (1991) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जातियों की निष्क्रियता के कारण इन्हें अकर्मण्यता पुंज कहा है। इस समुदाय ने परम्परागत सामाजिक व्यवस्था की असमानता और शोषण को ही भाग्य मानकर समाज के आक्रोश तथा सामाजिक प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की अपेक्षा चुप रहना ही अच्छा माना।(8)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन (1998) के अनुसार राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के समय अनुसूचित एवं जनजातियों में जो विषमताऐं पूर्व से ही मौजूद है वे विगत वर्षो मे और बढ़ी है, दिन–प्रतिदिन उनका उत्पीड़न हो रहा है जो चिन्तनीय है।

शोध–प्रारूप

प्रस्तुत शोध–अध्ययन अयोध्या जनपद के तीन गाँवों यथा– कुशमाहा, गोपालपुर एवं गुन्धौर की सम्पूर्ण जनसंख्या से कुल 100–100 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया हैं। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीयक स्रोतों में सरकारी एवं गैर सरकारी रिकार्ड, रिपोर्ट समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि का संकलन भी किया गया है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में अनुसूचित जातियों के साथ–साथ सामान्य जाति एवं पिछड़ी जातियों के ऊपर अनुसूचित जाति अधिनियम का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार पड़ रहा है, उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है। वर्तमान परिवेश में समाज के अन्य वर्गो से सामाजिक सम्बन्ध किस प्रकार रहता है ? निम्न सारणी द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया गया है –

सारणी सं.–01
समाज के अन्य वर्गों से सामाजिक सम्बन्ध

क्र.सं.	सामाजिक सम्बन्ध	कुशमाहा		गोपालपुर		गुन्धौर		सम्पूर्ण योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अच्छा	50	50.0	30	30.0	60	60.0	140	46.7
2	सहयोग	45	45.0	50	50.0	30	30.0	125	41.8
3	संघर्ष	05	5.0	20	20.0	10	10.0	35	11.5
	योग	100	100	100	100	100	100	300	100

उपरोक्त सारणी के अध्ययन में उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान परिवेश में समाज के अन्य वर्गों के साथ सामाजिक सम्बन्ध किस प्रकार है ? के क्रम में ग्राम कुशमाहा के सम्पूर्ण 100 उत्तरदाताओं में से 50.0 प्रति उत्तरदाता अच्छा मानते है, जबकि 45.0 प्रति0 सहयोग पूर्ण एवं मात्र 5 प्रतिशत उत्तरदाता संघर्षपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार ग्राम सभा गोपालपुर के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 30.0 प्रति0 उत्तरदाता अच्छा मानते है, 50.0 प्रति0 सहयोग पूर्ण एवं 20.0 प्रति0 संघर्षपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार ग्राम सभा गुन्धौर के कुल

100 उत्तरदाताओं में से 60.0 प्रति. उत्तरदाता समाज के अन्य वर्गो के साथ अच्छा मानते हैं।, 30 प्रति0 सहयोगपूर्ण एवं 10.0 प्रति. संघर्षपूर्ण मानते हैं।

वर्तमान आधुनिक परिवेश में समाज प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर है, संविधान द्वारा प्रदान किये गये समानता के अधिकार का पालन समाज द्वारा किया जा रहा है। किन्तु आज भी कुछ ऐसे तत्व समाज में मौजूद है, जो समय–समय पर समाज की सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास अवश्य करते हैं।

अतः उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि संविधान द्वारा प्रदान किये गये समता/समानता का अधिकार समाज में पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है –

सारणी सं0–02

समाज में समानता के अधिकार का पालन

क्र.सं.	समानता का अधिकार	कुशमाहा		गोपालपुर		गुन्धौर		सम्पूर्ण योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	58	58.0	52	52.0	50	50.0	140	46.7
2	नहीं	22	22.0	15	15.0	10	10.0	47	15.7
3	कह नहीं सकते	20	20.0	33	33.0	40	40.0	93	37.6
	योग	100	100	100	100	100	100	300	100

उपरोक्त सारणी के अध्ययन में उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया है कि 'संविधान द्वारा प्रदान किये गये समता/समानता का अधिकार समाज में पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है ? के क्रम में ग्राम कुशमाहा के सम्पूर्ण 100 उत्तरदाताओं में से 58.0 प्रति0 ने स्वीकार किया है कि हाँ समाज में समानता का अधिकार मिल रहा है, एवं 22.0 प्रति0 ऐसा नहीं मानते है, जबकि 20.0 प्रति0 उत्तरदाता कुछ भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार ग्राम गोपालपुर के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 52.0 प्रति0 मानते है कि हाँ समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है। जबकि मात्र 15.0 प्रति0 उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है, एवं 33.0 प्रति0 उत्तरदाता कुछ नहीं कह सकते है। इसी प्रकार ग्राम गुन्धौर के कुल 100 उत्तरदाताओं में से 50.0 प्रति उत्तरदाता स्वीकार करते है कि समाज में समानता के अधिकार का पालन हो रहा है, जबकि मात्र 10.0 प्रति0 उत्तरदाता इस तथ्य को स्वीकार नही करते है, एवं 40.0 प्रति0 उत्तरदाताओं का उत्तर था कह नहीं सकते।

सम्पूर्ण अध्ययन में सम्मिलित 300 उत्तरदाताओं में से 160 उत्तरदाता मानते है कि समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है, जबकि 47 उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते हैं, लगभग पचास प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता स्वीकार करते है कि समाज में समानता के

अधिकार का पालन हो रहा है, जबकि लगभग 47 प्रति0 उत्तरदाता इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अतः यह सत्य प्रतीत होता है कि समाज अभी भी पुरातन व्यवस्था का पालन कर रहा है।

अतः उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग किये जाने की स्थिति क्या है ?

सारणी सं0–03

अनुसचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग

क्र.सं.	समानता का अधिकार	कुशमाहा		गोपालपुर		गुन्धौर		सम्पूर्ण योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	65	65.0	62	62.0	55	55.0	182	60.7
2	नहीं	15	15.0	20	20.0	35	35.0	70	23.3
3	कह नहीं सकते	20	20.0	18	18.0	10	10.0	48	16.0
	योग	100	100	100	100	100	100	300	100

उपरोक्त सारणी के अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग किया जाता है? के क्रम में अध्ययन में सम्मिलित ग्राम कुशमाहा के सम्पूर्ण 100 उत्तरदाताओं में से 65.0 प्रति0 उत्तरदाता मानते है कि अधिनियम का दुरूपयोग किया जाता है, जबकि 15.0 प्रति0 उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है कि अधिनियम का दुरूपयोग किया जाता है एवं 20.0 प्रति0 उत्तरदाता कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार ग्राम गोपालपुर के कुल 100 उत्तरदाताओं में से कुल 62.0 प्रति0 उत्तरदाता मानते है कि अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग किया जाता है, जबकि 20.0प्रति0 उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते है एवं 18.0 प्रति उत्तरदाता तटस्थ रहे। ग्राम सभा गुन्धौर के कुल 100 उत्तरदाताओं में से कुल 55.0 प्रति0 उत्तरदाता मानते है कि अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग किया जाता है। जबकि 35.0 प्रति0 उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते, एवं 10.0 प्रति0 उत्तरदाता तटस्थ रहे।

अतः सम्पूर्ण अध्ययन में सम्मिलित 300 उत्तरदाताओं में से लगभग 60.0 प्रति0 उत्तरदाता मानते है कि अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरूपयोग सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव एवं द्वैष के कारण अधिक होता है, समाज में आज भी उच्च प्रस्थिति एवं निम्न प्रस्थिति की भावना व्याप्त है। कानून के भय के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस अधिनियम का पालन किया जा रहा है।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समाज के प्रत्येक वर्ग के हित का ध्यान रखते हुए समाज के सबसे कमजोर वर्ग अर्थात अनुसूचित

जाति/जनजाति हेतु अनेकों ऐसे प्रावधान किये है जिसके आधार पर उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके, तथा समाज की सभी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास भी किया गया, वास्तविक रूप से देखा जाय तो संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त अवश्य हुए है, क्रियान्वयन भी हो रहा है, किन्तु समाज द्वारा अभी भी उनके साथ भेदभाव एवं असमानता का व्यवहार यत्र–तंत्र करते हुए दिखाई पड़ता है। इसीलिए पुनः संविधान में संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 लागू करना पड़ा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत आधार पर अपमानित न किया जा सके।

संदर्भ–सूची

1. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः।
   ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत।। –ऋग्वेद 10/90/13
2. यादव, राम गणेष एवं अन्य, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रा0लि0 नई दिल्ली, पृ0–141
3. बसु, दुर्गादास : भारत का संविधान–एक परिचय, प्रेन्टिस हाल ऑफ इण्डिया, प्रा0लि0 नई दिल्ली, पृ0–21
4. सिंह, टी0बी0 : भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याऐं, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0–39
5. आर्य, जियालाल : दलित समाज : आज की चुनौतियाँ, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली पृ0–46
6. अमर, अशोक कुमारः अदृश्य न्याय का समाज एवं आरक्षण नीति, एस0के0 पब्लिशिंग कम्पनी राँची (झारखण्ड) पृ0–11
7. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह : पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–18–19
8. प्यारे, राम : हरिजन युवकों का राजनीतिक समाजीकरण, मित्तल, पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0–28